

क्रम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
<u>01.11.2018</u>	न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)। <u>आदेश</u> <u>विविध वाद संख्या- 25/2018-19</u> <u>धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता</u> शिला कुंवर प्रथम पक्ष <u>बनाम</u> रामदास यादव वगैरहद्वितीय पक्ष यह प्रक्रिया आवेदिका शिला कुंवर पति- स्व0 गणेश यादव, ग्राम- नाशो, पो0- गुलाबझरी, थाना- छत्तरपुर, जिला- पलामू ने 1. रामदास यादव पिता- तेजु यादव, 2. अशोक यादव, 3. संतोष यादव दोनों के पिता- रामदास यादव, 4. सुगा देवी पति- रामदास यादव, 5. अशोका देवी पति- अशोक यादव, 6. राजेन्द्र यादव सभी ग्राम- नाशो, पो0- गुलाबझरी, थाना- छत्तरपुर, जिला- पलामू के विरुद्ध धारा 144 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया था, जिसे इस कार्यालय के ज्ञापांक 723 दिनांक 19.07.2018 के द्वारा थाना प्रभारी, छत्तरपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। थाना प्रभारी, छत्तरपुर ने डी0 आर0 नं0- 774/18 दिनांक 09.08.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये हैं। जाँच प्रतिवेदन में विवाद को देखते हुए एवं शांति- व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं0प्र0सं0 लगाने की अनुशंसा किया गया है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:- मौजा- नाशो, खाता सं0- 15,	PN-38 4-12-18 P.N. IN-49 13-12-18

L

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2 प्लॉट सं०- 569, रकबा- 0.05 एकड़, चौहद्दी उत्तर- सड़क, दक्षिण- दिनेश यादव एवं महेश यादव, पूरब- स्व० विटल यादव, पश्चिम- सड़क के लिए विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं०प्र०सं० की प्रक्रिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं उभय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि मौजा- नाशो के खाता सं०- 15, प्लॉट सं०- 569, रकबा- 0.12 एकड़ विवादी रकबा- 0.05 एकड़ भूमि आवेदिका को केवाला सं०-965 दिनांक- 30.01.2006 से प्राप्त है तथा खरिदगी के पश्चात से आज तक प्रथम पक्ष का दखल- कब्जा चला आ रहा है उक्त भूमि पर विपक्षी का कोई दखल- कब्जा नहीं है वे प्रथम पक्ष को बेदखल करना चाहते हैं। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि प्रथम पक्ष के द्वारा किया गया दावा गलत एवं निराधार है। पुलिस के द्वारा बिना स्थल निरीक्षण किये विवादित भूमि पर धारा 144 दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अप्राथमिकी सं०- 95/2018 के आधार पर धारा 107 दं०प्र०सं० की प्रक्रिया दोनों पक्षों के बीच चल रहा है जिसमें पुलिस

✓

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बाटिप्पणी तारीख सहित
2	3
प्रतिवेदन में विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष के रामदास यादव का दखल- कब्जा दर्शाया गया है। वाद भूमि द्वितीय पक्ष का पैतृक भूमि है जो करीब 20 वर्ष पूर्व आपसी विभाजन के आधार पर वाद भूमि पर द्वितीय पक्ष दाखिल- काबीज हैं। विशेषर अहीर, प्रमेश्वर अहीर, झाडू अहीर और शिव अहीर खाता सं०- 15 ग्राम- नासो के खतियानी रैयत थे। झाडू अहीर के दो पुत्र 1. बंधु अहीर, 2. तेजु यादव थे। तेजु यादव के तीन पुत्र भोला यादव, रामदास यादव एवं प्रकाश यादव हुए। बंधु यादव निबंधित विक्रय पत्र के द्वारा रामदास यादव को भूमि विक्रि किये। निबंधन के पश्चात से द्वितीय पक्ष के रामदास यादव का दखल- कब्जा चला आ रहा है। द्वितीय पक्ष के द्वारा वाद भूमि पर मकान बनाने के लिये ईंट बालू वगैरह गिराया गया है तब यह विवाद प्रथम पक्ष के द्वारा लाया गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में केवाला एवं लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किये किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में पुराना सर्वे खतियान एवं लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किया गया है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न कारण पृच्छा एवं राजस्व -	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2 दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह मामला स्वत्व वाद से संबंधित है, जिसका निपटारा करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। यदि प्रथम पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकते हैं। साथ ही इस वाद कि कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।